• | • वाद सं. 99/2025 तहसीलदार बनाम कैलाश चंद वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार I,(RAS)
राजस्व वाद संख्या :– 99/2025 GCMS 2025/195

वादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिए (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कैलाशचंद्र मानधना पुत्र पुखराज मानधना जाति महाजन निवासी गहलोत कॉलोनी मकराना तहसील मकराना
2. केसराम कड़वा पुत्र नारायण राम कड़वा जाति जाट निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामन सिटी
3. कानाराम पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील कुचामन सिटी
4. गजेन्द्र डूडी पुत्र हरीकिशन डूडी जाति जाट निवासी बोरावड़ तहसील मकराना
5. मोतीराम भाकर पुत्र केशाराम भाकर जाति जाट निवासी लुहारिया बेरा की ढ़ाणी मकराना तहसील मकराना
6. शत्रुघन चौधरी पुत्र प्रेमराज चौधरी जाति जाट निवासी वावा की ढ़ाणी तहसील मौलासर
7. उप पंजीयक कुचामन सिटी

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– तहसीलदार कुचामन सिटी
श्री श्यामसुंदर चौधरी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/06/2025

यह वाद पत्र राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 732/687 रकबा 0.73 हैक्टयर किस्म चाही 3 राजस्व रेकर्ड सम्वत् 2076–2079 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 ने उक्त कृषि भूमि में से 0.73 हैक्टयर भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि को अकृषि उपयोग (प्लाटिंग) में कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नं. 732/687 रकबा 0.73 हैक्टयर किस्म चाही 3 में से 0.73 हैक्टयर प्रतिवादी की खातेदारी भूमि को राजकीय दर्ज कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी (राज.) सत्यमेव जयते कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 की ओर से वकील श्री श्यामसुंदर चौधरी की ओर से जवाब व श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 732/687 रकबा 0.7300 हैक्टयर के संबंध में कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद कुचामन सिटी द्वारा प्रारूप–11 में "राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि का गैर–कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु" जारी अनुज्ञा क्रमांक/नपकु/2025–26/1281 दिनांक 12.06.2025 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का कृषि से गैर–कृषि उपयोग लेने हेतु प्राधिकृत अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के विरूद्ध लंबित यह वादपत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया है कि अब प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 द्वारा वादग्रस्त भूमि का कृषि से गैर–कृषि उपयोग लेने हेतु प्राधिकृत अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है तो वाद पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का का कृषि से गैर–कृषि उपयोग लेने हेतु प्राधिकृत अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई। इसलिए यह वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 द्वारा ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 732/687 रकबा 0.7300 हैक्टयर भूमि के कृषि से गैर–कृषि उपयोग लेने हेतु कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद कुचामन सिटी के प्रारूप–11 में अनुज्ञा क्रमांक/नपकु/2025–26/1305 दिनांक 13.06.2025 को प्राप्त कर ली गई है। इसलिए अब वाद वादी को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner